





बाप (जाधपुर)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अतिरिक्त अधिकारी  
(महावीर सिंह)

*[Handwritten signature]*

दिनांक 26.11.19... खले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रधान पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है कि खीरवा पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप  
के खसरा नम्बर 112/7 रकबा 20.00 बीघा भूमि का सीमाज्ञान पत्रों को  
संश्लेषित करते हुए मौका फर्द दिनांक 13/10/19 अर्जुन पत्रारगणी किसे जाने के  
प्रार्थी द्वारा नियमानुसार बिल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त  
में विधिवत पत्रारगणी करवावे। अगर आवश्यकता है तो शान्ति व्यवस्था बनाने  
के लिए पुलिस इमदद प्राप्त की जावे। पत्रारगणी फौजदारी नम्बर से कम है।

**आदेश**

प्रधान पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है।  
प्रार्थी ने अपनी भूमि की पत्रारगणी करवाने की अर्जा की है। अतः प्रार्थी का  
उक्त भूमि की पत्रारगणी करवाने की सहमति जाहिर की है। इसलिये प्रार्थी  
को अपनी खतारगणी करवाने का पूरा-पूरा अधिकार है, सरकारी  
के खसरा नम्बर 112/7 रकबा 20.00 बीघा भूमि की प्रार्थी खतारगणी है, रेकर्ड  
नम्बर 2076-276, नम्बर 112/7 रकबा 20.00 बीघा भूमि का अवलोकन किया गया। ग्राम खीरवा पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप  
में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सवत  
वर्कलाय पत्रारगणी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। बहस पर मनन एवं  
प्रार्थी के पत्रारगणी किया जाना उचित है।

अप्रार्थी प्रैरकार सरकार ने भी उपस्थित हो कर बताया की पत्रों को संश्लेषित  
का निवेदन किया।  
अप्रार्थी प्रैरकार 13/10/2018 को की गई पैमाइश का सीमाज्ञान मौका फर्द अर्जुन पत्रारगणी किसे  
बहिष्कृत खतारगणी करवावे। प्रार्थी की उक्त भूमि का पत्रारगणी करवावे।  
पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप जिला जाधपुर में स्थित है। उक्त खसरा की भूमि पर  
प्रार्थी की खतारगणी अधिकारी की कृपे से खसरा नम्बर 112/7 रकबा 20.00 बीघा मौजा  
अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि  
अमल में लाई गई। पत्रारगणी बहस में रखी गई।  
अप्रार्थीगण के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध एक पक्षीय  
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र किया गया अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया

